



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)



सं.ई(डब्ल्यू)2020/पीएस5-1/3

नई दिल्ली, दिनांक 16.11.2021

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी भारतीय रेलों और उत्पादन इकाइयां।

विषय: अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत (एआईएलटीसी) अग्रिम आदि को स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी।

संदर्भ: (i) बोर्ड का दिनांक 10.09.2018 का समसंख्यक पत्र।

(ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 19.09.2017 का कार्यालय ज्ञापन सं.31011/8/2017-स्थापना.ए-IV.

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने एआईएलटीसी अग्रिम को स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। यह देखा गया है कि एआईएलटीसी के प्रयोजनार्थ यात्रा पात्रता, निश्चित अपवादों के अध्यक्षीन, यात्रा भत्ता पात्रता के समान रहेगी जैसा कि बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्र और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित किया गया है।

2. इस मामले की वित्त निदेशालय, जो रेलवे यात्रा भत्ता नियम के लिए बोर्ड का नोडल निदेशालय है, के परामर्श से जांच की गई है। केंद्रीय सिविल सेवा (एलटीसी) नियम - 1988 के नियम 4(ख) और सिविल साइड के पूरक नियम 191 के सुसंगत प्रावधान वित्त निदेशालय के दिनांक 14.12.2018 के पत्र सं. एफ(ई) I/2018/एएल.28/73 के माध्यम से अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.62 के तहत यथा संशोधित "भारतीय रेल स्थापना बॉल्यूम-II" का नियम 1697, "भारतीय रेल प्रशासन और वित्त" का नियम 1003 एवं "भारतीय रेल स्थापना नियमावली" का नियम 1109 है। इनमें और संगत एसओपी में निर्दिष्ट प्राधिकारी जो रेलवे यात्रा भत्ता नियम के अनुसार अग्रिम आदि को स्वीकृत करने हेतु सक्षम हैं, एआईएलटीसी से संबंधित सभी मामलों के लिए भी सक्षम प्राधिकारी होंगे।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

वी. मुरलीधरन  
(वी. मुरलीधरन)

उप निदेशक स्थापना (कल्याण)-I  
रेलवे बोर्ड

सं.ई(डब्ल्यू)2020/पीएस5-1/3

नई दिल्ली, दिनांक 16.11.2021

प्रतिलिपि प्रेषित:-

भारत के उप निबंधक और महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

जि.के.एस.

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

...2...

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (जीए), रेलवे बोर्ड ।
2. कंप्यूटर सेल/सी एंड आईएस, रेलवे बोर्ड को सभी संबंधितों के सूचनार्थ रेल मंत्रालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
3. मानक सूची के अनुसार ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली ।
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं.253, रेल भवन, नई दिल्ली ।
3. सदस्य, राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद और सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
4. महासचिव, फ़ोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली ।
5. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली ।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नंबर 402, रेल भवन, नई दिल्ली ।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली ।
8. महासचिव, आरबीएसएसएसए, कमरा नंबर 439, रेल भवन, नई दिल्ली ।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी अधिकारी संघ, कमरा नंबर 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली ।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली ।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली ।
12. महासचिव, अखिल भारतीय आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली ।
13. महासचिव, अखिल भारतीय एससी / एसटी रेलवे कर्मचारी संघ, कमरा नं.7, रेल भवन, नई दिल्ली ।
14. महासचिव, अखिल भारतीय ओबीसी रेलवे कर्मचारी महासंघ, कमरा नं.48, रेल भवन, नई दिल्ली ।

जवन  
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड